

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

मत्स्योद्योग विभाग

**सहायक संचालक मत्स्योद्योग
जिला - बैतूल**

2. कार्य का कर्तव्य

मछलीपालन विभाग जिले में मत्स्य कृषकों को मत्स्य पालन सुविधाएँ उपलब्ध करवाता है जिले के मत्स्य कृषकों को मत्स्यपालन की उन्नति तकनीकी जानकारी देता है मत्स्य पालकों को उन्नत के लिए विभागीय योजनाओं का क्रियान्वयन करता है।

- सहायक संचालक –
1. प्रशासकीय कार्य
 2. विभागीय जलाशयों में मत्स्यपालन एवं मत्स्यबीज प्रक्षेत्र का सुचारु रूप से संचालन एवं निरीक्षण.
 3. विभिन्न विभागीय योजनाओं का क्रियान्वयन करवाना एवं अन्य निरीक्षण.
- सहायक मत्स्य –
अधिकारी
1. मत्स्यपालन के विभिन्न योजनाओं में हितग्राहियों के प्रकरण का निरीक्षण एवं क्रियान्वयन.
 2. मत्स्य निरीक्षक इकाई का निरीक्षण एवं क्रियान्वयन.
 3. मत्स्य बीमारियों की जाँच, बचाव एवं रोकथाम.
 4. मत्स्य सहकारी समितियों का गठन एवं निरीक्षण.
- मत्स्य निरीक्षक—
(क्षेत्रीय अधिकारी)
1. विकासखण्ड स्तर पर विभिन्न योजनाओं में हितग्राहियों के प्रकरण तैयार करना, परीक्षण एवं क्रियान्वयन.
 2. मत्स्य सहकारी समितियों का गठन एवं निरीक्षण.
 3. मत्स्य बीमारियों की जाँच, बचाव एवं नियंत्रण.
 4. सहायक मत्स्य अधिकारी / मत्स्य निरीक्षक के मार्गदर्शन में मत्स्यपालन के कार्यों में चतुर्थ श्रेणी (क्षेत्रीय कर्मचारी) जमादार, मछुआ, बोटमेन, जलाशय चौकीदार का सहयोग लेना.

पदस्थ अमले की जानकारी –

क्रं.	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पदनाम	पता	दूरभाष नं.
1.	श्री श्री डी०पी० साहू	सहायक संचालक मत्स्योग बैतूल	मत्स्यपालन विभाग बैतूल	234280
2.	श्री सी०आर० कबीर	सहायक मत्स्य अधि०	—”—	—”—
3.	श्री एस०पी० सैनी	—”—	—”—	—”—
4.	श्री एम०आर० काले	—”—	मुलताई	
5.	श्री अजय भार्गव	—”—	भैंसदेही	
6.	श्री एस०के० मालवीय	मत्स्य निरीक्षक	चन्दोरा	
7.	श्री चेतन भावसार	मत्स्य निरीक्षक	मत्स्यबीज प्रक्षेत्र सापना	

3. निर्णय प्रक्रिया

नवीन योजनाए तैयार
एवं प्रस्तावित करना

प्रशासनिक
नियंत्रण

कवभागीय
कार्यक्रमों का
क्रियान्वयन

सहायक संचालक
मत्स्योद्योग

विभागीय इकाईयों
का संचालन एवं
निरीक्षण

योजनाओं की
स्वीकृति एवं
क्रियान्वयन

तकनीकी प्रतिवेदन
तकनीकी
मार्गदर्शन

तकनीकी शाखा
मुख्यालय स.म.अ.

क्षेत्रीय अमले से प्राप्त
विभागीय कार्यक्रमों के
प्रस्ताव का परीक्षण

मत्स्य पालन
प्रचार-प्रसार

विभागीय योजनाओं
का क्षेत्रीय
क्रियान्वयन

क्षेत्रीय अधिकारी

मछलीपालन
तकनीकी
मार्गदर्शन

मत्स्य कृषकों की
मत्स्यपालन कठिनाईयों
का निराकरण

4. समय सीमा

क्रं.	कार्य / गतिविधि / योजना का नाम	प्रभारी / विहित अधिकारी	निपटारे की समय सीमा	निर्धारित समयावधि में जानकारी प्राप्त न होने पर जिस अधिकारी को शिकायत की जाना है उसका पद नाम	शिकायत के निराकरण की समय सीमा
1	विभागीय योजना / योजनाओं / कार्यक्रमों तथा निजी क्षेत्र में मछलीपालन इकाई आदि की स्थापना हेतु जानकारी / सलाह देना।	जिले के मत्स्योद्योग अधिकारी/ सहायक संचालक मत्स्योद्योग	15 दिवस	संचालक मत्स्योद्योग	15 दिवस
2	विभागीय जलाशयों में स्वत्व शुल्क आधार पर मत्स्याखेट करने की इच्छुक संस्थाओं / समूहों के आवेदन पत्र पर कार्यवाही।	जिले के मत्स्योद्योग अधिकारी	7 दिवस	संचालक मत्स्योद्योग	15 दिवस
3	त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं को तालाब पट्टे के प्रकरण प्रस्तुत करना।	जिले के मत्स्योद्योग अधिकारी/ सहायक संचालक मत्स्योद्योग	30 दिवस	संचालक मत्स्योद्योग	15 दिवस
4	अनुदान प्रकरणों को जिला पंचायत को प्रस्तुत करना।	जिले के मत्स्योद्योग अधिकारी/ सहायक संचालक मत्स्योद्योग	15 दिवस	संचालक मत्स्योद्योग	15 दिवस
5	शिक्षण-प्रशिक्षण के लिए हितग्राहियों का चयन. 1. ग्राम पंचायत / जनपद पंचायत से नामांकन करना। 2. प्रशिक्षण प्रारी करना।	जिले के मत्स्योद्योग अधिकारी/ सहायक संचालक मत्स्योद्योग जिले के मत्स्योद्योग अधिकारी/ सहायक संचालक मत्स्योद्योग	30 दिवस 30 दिवस	संचालक मत्स्योद्योग	15 दिवस
6	मछुआरों / मत्स्यपालकों को राज्य के बाहर अध्ययन भ्रमण पर भेजने हेतु नामांकन पंचायत से प्राप्त करना।	जिले के मत्स्योद्योग अधिकारी	30 दिवस	संचालक मत्स्योद्योग	15 दिवस
7	बीमित मछुआरा को मृत्यु / स्थाई अपंगता होने पर उसको दुर्घटना बीमा राशि का प्रकरण तैयार करना।	जिले के मत्स्योद्योग अधिकारी	15 दिवस	संचालक मत्स्योद्योग	15 दिवस
8	हितग्राहियों के मछली पालन हेतु ऋण प्रकरण तैयार कर प्रस्तुत करना	जिले के मत्स्योद्योग अधिकारी/ सहायक संचालक मत्स्योद्योग	30 दिवस	संचालक मत्स्योद्योग	15 दिवस
9	मछलीपालन तालाबों में मछलियों की बीमारी / बाढ़/ अन्य किसी समस्या के निराकरण हेतु सलाह देना।	जिले के मत्स्योद्योग अधिकारी/ सहायक संचालक मत्स्योद्योग	15 दिवस	संचालक मत्स्योद्योग	15 दिवस

5. कार्यालय के उपयोग होने वाले तथा उपलब्ध अधिनियम, नियम, रेगुलेशन
मेन्युअल की सूची

1. म0प्र0 फिशरीज एक्ट 1948
2. म0प्र0 नदीय नियम 1971
3. म0प्र0 की त्रिस्तरीय पंचायतो को मत्स्योद्योग के अधिकार/ कार्यक्रम के नीति निर्देश म0प्र0 शासन मछलीपालन विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्रमांक 1548 /2008/36 भोपाल, दिनांक 08 अक्टूबर 2008 एवं समय-समय पर हुए संशोधनों के परिपत्र.
4. म0प्र0 वेतन पुनरीक्षित नियम 1998
5. म0प0 सर्विसेज मेनुअल
6. म0प्र0 मूलभूत नियम भाग - 1
7. म0प्र0 विभागीय जाँच प्रक्रिया संहिता
8. म0प्र0 अवकाश नियम
9. म0प्र0 यात्रा भत्ता नियम
10. म0प्र0 सेवा दैनिक कार्यभारित आकस्मिक कर्मचारी नियम
11. म0प्र0 भण्डार क्रय नियम
12. म0प्र0 सामान्य भविष्य निधि नियम
13. म0प्र0 पेंशन नियम

6. विभाग में संचालित योजना एवं उनसे संबंधित पंजीयों

क्रं.	दस्तावेज	प्रकार	समयावधि रखरखाव
1.	ग्रामीण तालाब / सिंचाई जलाशय	रजिस्टर	5 वर्ष
2.	ग्रामीण तालाब आवंटन	रजिस्टर	5वर्ष
3.	सहकारी समितियों की जानकारी	रजिस्टर	5 वर्ष
4.	सहकारी समितियों को ऋण / अनुदान जानकारी	रजिस्टर	5 वर्ष
5.	मत्स्य कृषकों को बैंक ऋण / अनुदान प्रकरण की जानकारी	रजिस्टर	5वर्ष
7.	परामर्शदात्री समितियों की संरचना -	निरंक	
8.	मत्स्य कृषक विकास अभिकरण बैतूल -		
1.	संस्था का नाम - मत्स्य कृषक विकास अभिकरण बैतूल		
2.	संस्था का पंजीयन क्रमांक - 23744 दिनांक 11.12.1989		
3.	संस्था का कार्यालय-कार्यालय सहायक संचालक मत्स्योद्योग बैतूल परिसर जिला बैतूल		
4.	संस्था के उद्देश्य निम्नलिखित हैं -		
1.	उन्नत तकनीकी से मत्स्य पालन का प्रचार-प्रसार		
2.	कार्य क्षेत्रान्तर्गत जलक्षेत्र का अधिकतम उपयोग कर मत्स्य उत्पादन बढ़ाना		
3.	कृषकों को प्रशिक्षित करना, नवीन तकनीकी अपनाने के लिए प्रेरित करना.		

5. संस्था के सदस्य / पदाधिकारी –

- | | |
|--|---------|
| 1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बैतूल. | अध्यक्ष |
| 2. सहायक संचालक मत्स्योद्योग जिला बैतूल. | सदस्य |
| 3. उप संचालक मत्स्योद्योग, भोपाल नर्मदापुरम संभाग भोपाल. | सदस्य |
| 4. कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग बैतूल. | सदस्य |
| 5. कार्यपालन यंत्री, सिंचाई संभाग क्रमांक – 2 बैतूल. | सदस्य |
| 6. उपपंजीयक सहकारिता विभाग बैतूल. | सदस्य |
| 7. उप संचालक पंचायत विभाग बैतूल. | सदस्य |

6. प्रबंध कार्यकारिणी –

1. बैठक – अभिकरण की उपविधियों की कंडिका 15 के अनुसार तीन माह में प्रबंध कार्यकारिणी बैठक की जानी चाहिए। प्रबंध कार्यकारिणी बैठक का कोरम, उपविधि की कंडिका 16 के अनुसार किया जाता है।
2. प्रबंध कार्यकारिणी के अधिकार –
 1. अभिकरण के कार्यों की समीक्षा.
 2. अभिकरण के वित्तीय प्रावधान के व्यय का अनुमोदन.
 3. अभिकरण की योजनाओं के क्रियान्वयन का संचालन एवं नियंत्रण रखना.

9 एवं 10 वेतन माह –

क्रं.	नाम अधिकारी / कर्मचारी	पदनाम	पता	मूलवेतन
1.	श्री डी0पी0 साहू	सहायक संचालक मत्स्योद्योग	कार्यालय सहायक संचालक मत्स्यो0 बैतूल	18240
2.	श्री सी0आर0 कबीर	सहायक मत्स्य अधि0	-----"-----	15120
3	श्री एस0पी0 सैनी	-----"-----	कार्या0 सहायक मत्स्य अधिकारी सारनी	14810
4	श्री एम0आर0 काले	-----"-----	सहायक मत्स्य अधिकारी मुलताई	13660
5	श्री अजय भार्गव	-----"-----	कार्या0 सहायक मत्स्य अधिकारी भैंसदेही	13660
6	श्री एस0के0 मालवीय	मत्स्य निरीक्षक	चन्दोरा जलाशय	12460
7	श्री चेतन भावसार	-----"-----	मत्स्यबीज प्रक्षेत्र सापना	12460

उपरोक्त सूची में अधिकारी / कर्मचारियों के मूल वेतन दिये गये हैं। राज्य शासन के अनुसार मंहगाई भत्ता दिया जाता है।

11. कार्यालय में मदवार, बजट आवंटन की जानकारी –

क्रं.	मांग संख्या / शीर्ष	वर्ष 2010-11	माह	अगस्त 2011 तक	आवंटन	व्यय (लाख)
1.	16 – 2405 – आयोजनेत्तर – 11-001				33,29,000	21,93,395
2.	16 – 2405 – ---"--- – 21- यात्रा भत्ता				10,000	6230
3.	16 – 2405 – ---"--- – 22- कार्यालय व्यय				34000	12071
4.	16 – 2405 – ---"--- – 51- अदर चार्जेश				1000	–
योग :-					33,64,000	22,11,696
5.	15 – 2405 – आयोजना – 3313 म0पालन प्रसार				–	–
6.	52 – 2405 – आ.उपयोजना– 3313 म0पालन प्रसार				–	–
7.	52 – 2405 – आ.उपयोजना– 4970 कृषक अनुदान				50,000	35,000
8.	52 – 2405 – आ.उपयोजना– 4217 शिक्षण–प्रशिक्षण				–	–
9.	52 – 2405 – आ.उपयोजना– 4427 समितियों को अनुदान–				–	–
योग :-					50,000	35,000
10.	74 – 2405 – आयोजना – 4970 कृषक अनुदान				2,33,000	1,56,859
11.	74 – 2405 – आयोजना – 4970-002 कार्या0 व्यय				83,000	50,367
12.	74 – 2405 – आयोजना – 4217 शिक्षण–प्रशिक्षण				–	–
13.	74 – 2405 – आयोजना – 4427 समितियों को अनुदान–				–	–
योग :-					3,16,000	2,07,226
14.	41 – 2405 – आ.उपयोजना– 1450 जला. मत्स्यो0 विकास				1,38,750	1,19,843
15.	41 – 2405 – आ.उपयोजना– 3314 मत्स्यबीज उत्पादन				2,39,000	2,10,986
16.	41 – 2405 – आ.उपयोजना– 8625 बचत सह राहत				1,00,000	99,200
योग :-					4,77,750	4,30,029
17.	16 – 2405 – आयोजना – 1450 जला. मत्स्यो0 विकास				2,30,750	1,92,144
18.	16 – 2405 – आयोजना – 3314 मत्स्यबीज उत्पादन				3,10,750	2,11,990
19.	16 – 2405 – आयोजना – 8625 बचत सह राहत				6,20,000	6,13,600
20.	16 – 2405 – आयोजना – 2304 मेला, प्रदर्शनी				0,15,000	0,15,000
योग :-					11,76,500	10,32,734
कुलयोग :-					53,84,250	39,16,685

12 संचालित कार्यक्रम

1. मत्स्य बीज उत्पादन –

विभाग में एक मत्स्यबीज उत्पादन इकाई है। जिसमें मत्स्यबीज उत्पादन, संवर्धन तथा वितरण काय किया जाता है।

2. जलाशयों में मत्स्योद्योग विकास –

विभाग में दो जलाशय क्रमशः सारनी जलाशय औसत जलक्षेत्र 900.00 है० एवं चन्दोरा जलाशय औसत जलक्षेत्र 215.00 है० है इन जलाशयों में मत्स्योद्योग विकास एवं मत्स्योत्पादन का कार्य किया जाता है।

3. मत्स्य पालन प्रसार –

योजनान्तर्गत आदिवासी क्षेत्र / विशेष घटक योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति मत्स्य पालकों को सहायता/ अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। जिससे तालाब पट्टा राशि, तालाब सुधार, मत्स्यबीज संचय, जाल, नाव, क्रयकरण पर अनुदान की पात्रता है। मत्स्यपालकों को रू०– 15,000 /– /– की अधिकतम सीमा तक अनुदान दिया जाता है।

4. मछुआ सहकारिता –

योजना अंतर्गत मछुआ सह समितियों को मत्स्यपालन हेतु ऋण / अनुदान उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। अनु.जाति / अनुजनजाति मछुआ सहकारी समितियों को अंशपूजी , पट्टराशि ,मत्स्य बीज , नाव, जाल क्रयकरण पर अनुदान की पात्रता है। समितियों को रूपया 1,50,000 / तक की सीमा में अनुदान दिये जाने का प्रावधान है ।

5 शिक्षण – प्रशिक्षण –

विभागीय — योजना अंतर्गत सामान्य / अनु. जाति / अनुजनजाति मछुआ को 15 दिवसीय मत्स्य पालन प्रशिक्षण दिया जाने का प्रावधान है । प्रशिक्षण काल में मछुओं को रूपया 400 /– मुल्य का नायलोन धागा नि'शुल्क वितरित किया जाता है एवं प्रति प्रशिक्षणार्थी को रू. 750 /– प्रशिक्षण भत्ता दिया जाता है।

6 मछुआ दुर्घटना बीमा –

योजना अंतर्गत शत-प्रतिशत व्यय से पंजीकृत मछुआ सह समितियों के सदस्यों , मत्स्य पालको , व्यक्तिगत मछुआ का बीमा किये जाने का प्रावधान है । दुर्घटना बीमा स्थाई रूप से अपंग होने पर सदस्य को 50,000 /– एवं दुर्घटना में सदस्य की मृत्यु होने पर सदस्य के वारिस को रू. 1,00,000 /– की बीमा राशि उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है

7 बचत सह राहत योजना –

योजना अंतर्गत पंजीकृत समिति सदस्यों से रू. 50 /– प्रतिमाह प्रति सदस्य माह सितम्बर में मई तक (कुल नौ माह) नियमित रूप से, समिति के संयुक्त खाते मे जमा कराया जाता है , जिससे प्रत्येक सदस्य के रू. 400 /– जमा होते है तथा शासन द्वारा भी रू. 800 /–का अनुदान प्रत्येक सदस्य को दो समान किस्तों में बंद ऋतु अवधि में प्रदाय किया जाता है इस प्रकार प्रत्येक सदस्य को रू 1200 /–की दर से भुगतान किया जाता है ।

8 मत्स्य कृषक विकास अभिकरण –

8.1 यह कि केन्द्र प्रवर्तित योजना है जिससे अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले मछुओं को मत्स्य पालन की जानकारी देना एवं तालाब पट्टे पर उपलब्ध कराना।

8.2 स्वयं की भूमि पर तालाब निर्माण के लिये प्रोत्साहित करना एवं तालाब निर्माण पर 3.00 लाख प्रति हेक्टर के मान से बैंको से ऋण उपलब्ध कराना साथ ही सामान्य वर्ग के मत्स्य कृषक के लिये अनुदान 20 % (प्रतिशत) जिसकी अधिकतम सीमा रु. 60,000/- प्रति हेक्टर एवं अनु. जाति / अनु.जनजाति के मत्स्य कृषको अनुदान 25% (प्रतिशत) जिसकी अधिकतम सीमा रु. 75,000/- प्रति हेक्टर के मान से दिया जाता है।

8.3 मत्स्य पालकों को आर्थिक सहायता एवं अनुदान –

ग्राम पंचायत तालाबों का गहरीकरण एवं अन्य सुधार कार्य मछलीपालन हेतु उपयुक्त बनाने के लिए रु0- 75,000/- प्रति हैक्टेयर के मान से बैंक ऋण/ स्वयं के व्यय पर सामान्य वर्ग को 20% अनुदान की पत्रता है, जिसकी अधिकतम सीमा रु0- 15,000/- है एवं अनु0जन0जाति/अनु0जाति के मत्स्य कृषकों के लिए 25 % अनुदान अर्थात् 18,750/- प्रति हैक्टेयर के मान से दिया जाता है।

8.4 प्रथम वर्ष मछली आहार, उर्वरक एवं खाद्य तथा दवाईयों का क्रयकरण –मत्स्य पालकों को योजना के प्रथम वर्ष में रु0- 50,000/- प्रति हैक्टेयर के मान से ऋण उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है इस ऋण पर सामान्य वर्ग को 20% के मान से अनुदान की पात्रता है। जिसकी अधिकतम सीमा 10,000/- प्रति हैक्टेयर निर्धारित है। किन्तु अनु0जन0जाति/अनु0जाति के मत्स्य कृषकों के लिए 25 % प्रति हैक्टेयर अनुदान की पात्रता है। जिसकी सीमा रु0- 12,500/- प्रति हैक्टेयर निर्धारित है।

हितग्राही का चयन ग्रामसभा/ जनपद / जिला पंचायत द्वारा उनको हस्तांतरित मत्स्योद्योग अधिकार / कार्यक्रम के नीति निर्देश के अनुसार किया जाता है।

नवीन कार्यक्रम.

1. नदिय मत्स्य समृद्धि योजना –

जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवाहित नदियों में जैव विविधता संरक्षित करने एवं किनारे बसे हुए गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले मछुआरों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति मजबूत करने तथा उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 में नवीन कार्यक्रम अंतर्गत जिले में प्रवाहित नदियों के 60 गहरे दहों में उन्नत किस्म के मत्स्यबीज संचयन के कार्य हेतु रु0- 2.55 लाख की राशि आवंटित की गई है।

नदियों में मत्स्यबीज संचयन होने से नदियों के मत्स्य भंडार में हो रही कमी की पूर्ति के साथ-साथ नदियों के किनारे रहने वाली मछुआ सहकारी समितियों के सदस्यों एवं अन्य मछुआरों को अतिरिक्त रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। नदियों में प्रचूर मात्रा में मत्स्यबीज संचयन किये जाने से मत्स्य भंडार में वृद्धि के साथ-साथ प्राकृतिक मत्स्य प्रजनन से नदियों के भंडार में निरंतर वृद्धि होती रहेंगी।

13. प्रगति प्रतिवेदन

माह अगस्त 2011 की स्थिति में

क्रं.	योजना	भौतिक		वित्तीय (रू० लाख)		रिमार्क
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	
1.	विभागीय					
	1. मत्स्यबीज उत्पादन (विभागीय)					
	1.1 स्पान (लाख)	400	370.00	5.6475	4.6385	
	1.2 स्टै०फ़ाई (लाख)	50.00	14.00			
	2. मत्स्यबीज उत्पादन (निजी)					
	2.1 स्पान (लाख)	300	280.00			
	2.2 स्टै०फ़ाई (लाख)	30.00	25.00			
	3 मत्स्योत्पादन (विभागीय) (मे.टन)	53.00	14.790	6.820	1.48174	
	4. सिंचाई जला० में मत्स्यो० विकास	53.00	14.790	3.695	3.11987	
	5. विभागीय आय (रू. लाख)	-	-	6.820	1.48174	
	6. मत्स्य पालकों को सहायता					
	6.1 अनु० जन जाति	-	-	-	-	
	6.2 अनुसूचित जाति	-	-	-	-	
	7. मछुआ प्रशिक्षण					
	7.1 सामान्य मछुआ	90	-	-	-	
	7.2 अनु० जन जाति	60	-	-	-	
	7.3 अनुसूचित जाति	-	-	-	-	
	8. सामान्य सह० समितियों को सहायता					
	8.1 ऋण	-	-	-	-	
	8.2 अनुदान	26	-	-	-	
	9. मत्स्यजीवियों का दुर्घटना बीमा (संख्या)	3400	3410	-	-	
	10. बचत सह राहत योजना					
	10.1 सामान्य	775	6.20	767	6.136	
	10.2 अनु० जन जाति	125	1.00	124	0.992	

क्रं0	विवरण	इकाई	लक्ष्य	उपलब्धि	रिमार्क
1	अभिकरण				
	तालाब पट्टा आवंटन				
	1.1 ग्रामीण तालाब	हैक्टेयर	35.00	2.545	
	1.2 सिंचाई जलाशय	हैक्टेयर	-	42.00	
	2. स्वयं की भूमि पर तालाब निर्माण				
	2.1 जलक्षेत्र	हैक्टेयर	-	-	
	2.2 तालाब संख्या	हैक्टेयर	-	-	
	3. मत्स्यपालन से लाभांविता हितग्राही	संख्या	-	1650	
	4. मत्स्यबीज संचयन (स्टै0फाई)	लाख	47.00	39.00	
	5. मत्स्योत्पादन	मे0टन	573.00	110.00	
	6. मत्स्य कृषकों को बैंक ऋण की जानकारी				
	6.1 बैंको को प्रस्तुत प्रकरण तालाब निर्माण / पौण्ड कल्चर	संख्या रु0 लाख	26 24.00	14 41.65	
	6.2 बैंको को स्वीकृत प्रकरण तालाब निर्माण / पौण्ड कल्चर	संख्या रु0 लाख	26 24.00	3 1.8429	
	6.3 बैंको द्वारा ऋण वितरण तालाब निर्माण / पौण्ड कल्चर	संख्या रु0 लाख	26 24.00	3 2.5389	
	6.4 मत्स्य कृषकों को अनुदान वितरण	संख्या रु0 लाख	- 2.83	5 1.9185	
	7. मत्स्य कृषकों को प्रशिक्षण	संख्या रु0 लाख	-	-	

सहायक संचालक मत्स्योद्योग,
जिला-बैतूल म0प्र0

14. कार्यालय में उपलब्ध सूची

1. ग्रामीण तालाब पट्टा आवंटन
2. सिंचाई जलाशय पट्टा आवंटन
3. सहकारी समितियों को प्रदाय ऋण/ अनुदान सूची
4. दुर्घटना बीमा सूची
5. हितग्राहियों को प्रदाय ऋण/ अनुदान सूची

15. आम नागरिक को सूचना उपलब्ध कराने हेतु सुविधों

कार्यालयीन तकनीकी (विभाग एवं अभिकरण) शाखा से मछलीपालन संबंधी सलाह/ जानकारी कार्यालयीन समय में दी जाती है।

16. लोक सूचना अधिकारी से संबंधित जानकारी

अ. लोक सूचना एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी की सूची –

क्रं.	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पद	दूरभाष
1.	श्री डी0पी0 साहू	लोक सूचना अधिकारी बैतूल	कार्या. 234280 निवास 232480
2.	श्री सी0आर0 कबीर	सहायक लोक सूचना अधि0बैतूल	कार्या. 234280 9407220464
3.	श्री एस0पी0 सैनी	सहायक लोक सूचना अधि0 सारनी	9926816531
4.	श्री एम0आर0 काले	सहायक लोक सूचना अधि0 मुलताई	9424453717
5.	श्री अजय भार्गव	सहायक लोक सूचना अधि0 भैंसदेही	9425381725

ब. प्रथम अपीलीय अधिकारी –

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बैतूल को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा – 9– के तहत जिला स्तर पर प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं संचालनालय स्तर पर संचालक मत्स्योद्योग म0प्र0 को प्रथम अपीलीय अधिकारी नियुक्त किया गया है।

सहायक संचालक मत्स्योद्योग,
जिला–बैतूल म0प्र0

**कार्यालय सहायक संचालक मत्स्योद्योग जिला बैतूल म0प्र0
सूचना का अधिकार 2005**

1. प्रशासनिक प्रतिवेदन

1. प्रशासनिक व्यवस्था –
 - जिला स्तर – सहायक संचालक मत्स्योद्योग, बैतूल.
 - तहसील स्तर – सहायक मत्स्य अधिकारी, इकाई
 - विकासखण्ड स्तर – मत्स्य निरीक्षक
2. कार्यालय इकाई –
 - सहायक संचालक मत्स्योद्योग, बैतूल.
 - सहायक मत्स्य अधिकारी, 04
(बैतूल, मुलताई, सारनी, भैंसदेही)
 - मत्स्य निरीक्षक – 02
(सारनी, सापना)
3. स्वीकृत पद –

क्रं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
1	विभाग			
	1. सहायक संचालक मत्स्योद्योग	01	01	–
	2. सहायक मत्स्य अधिकारी	04	04	–
	3. मत्स्य निरीक्षक	04	02	02
	4. सहायक ग्रेड– 2	01	01	–
	5. सहायक ग्रेड–3	02	02	–
	6. मत्स्य जमादार	07	05	02
	7. भृत्य	02	01	01
	8. वाहन चालक	01	01	–
	9. कार्यालय चौकीदार	01	01	–
	10. मछुआ	01	01	–
	11. वोटमेन	01	01	–
	12. जलाशय चौकीदार	01	01	–
	योग :–	26	21	05

सहायक संचालक मत्स्योद्योग,
जिला-बैतूल म0प्र0

संरचनात्मक ढांचा –

अ. कार्यालयीन ढांचा –

सहायक संचालक मत्स्योद्योग सेवाएँ

स्थापना शाखा
सहायक ग्रेड-3

आवक-जावक शाखा
सहायक ग्रेड-3

लेखा शाखा
सहायक ग्रे-2

भण्डार शाखा
सहायक ग्रे-3

तकनीकी शाखा

विभाग स0म0अ0

अभिकरण म.पा.प्र. कार्य

ब. क्षेत्रीय संस्थाओं का ढांचा –

सहायक संचालक मत्स्योद्योग सेवाएँ

सारनी

सापना

भैंसदेही

मुलताई

विभागीय
जलाशयों में
मत्स्योत्पादन

विभागीय
जलाशयों में
मत्स्योत्पादन

विभागीय
जलाशयों में
मत्स्योत्पादन

विभागीय
जलाशयों में
मत्स्योत्पादन

